न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88 व 136 एल.आर.एक्ट
प्रकरण संख्या–114/2020

1.बलवीरसिह
2.बलकरणसिह } पि0 बक्सीसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 21.09.2020

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा व दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के नाम से चकनं0 1 जीजीआर के खाता सं0 137/33 में कुल 1.492 है0 आराजी ब0हि0ब0 तथा चकनं0 644 आरडी में खाता सं0 89/66 में संयुक्त खाता में अंकित कुल 6.831 है0 आराजी में से वादीसं0 1 बलवीरसिह का 464/2277 व वादी सं0 2 बलकरण सिह का 5/27 हिस्सा तथा चकनं0 644 आर डी के खाता सं0 40/37 में संयुक्त खाता में अंकित कुल 2.783 है0 में वादीसं0 1 बलवीरसिह का 1/11 हिस्सा तथा वादीसं0 2 बलकरण सिह का 2/11 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीगण के पिता का नाम बक्शीश सिह दर्ज है।

वादीगण के पिता का नाम बक्सीसिह है जो कि वादीगण के आधार कार्ड, पहचानपत्र तथा वादीगण के नाम से तहसील नोहर के अधिनस्थ चक 5 आरपीएम व चक 7 आरपीएम की जमाबन्दीयों में वादीगण के पिता का नाम बक्सीसिह अंकित है।वादीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा नोहर तहसील की जमाबन्दीयों की फोटो प्रति संलग्न वादपत्र है।वादीगण के समस्त दस्तावेजात में वादीगण के पिता का सही नाम बक्सीसिह दर्ज होने तथा वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड चक 1 जीजीआर के खाता सं0 137/33 में बक्शीश सिह व चक 644 आर डी के खाता सं0 89/66 में बक्शीशसिह तथा इसी चक के खाता सं0 40/37 बक्शीश सिह व बक्शीसिह अंकित रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहे है। वादीगण को उक्त भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है व वादीगण के वल्दियत में दोनो नामो में भिन्नता बनी रहती है। इसलिए वादीगण चक 1 जीजीआर के खाता सं0 137/33 में बक्शीश सिह व चक 644 आर डी के खाता सं0 89/66 में बक्शीशसिह तथा इसी चक के खाता सं0 40/37 बक्शीश सिह व बक्शीसिह के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर बक्सीसिह अंकित करवाना चाहते है।नाम दुरूस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

वादीगण ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादीगण का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

Scanned with CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगण के पिता का नाम बक्शीश सिह के स्थान पर बक्सी सिह के नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण की भूमि में वादीगण के पिता का नाम बक्शीशसिह दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम बक्सीसिह है। इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने पिता का नाम बक्शीशसिह के स्थान पर बक्सीसिह दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है।वादीगण के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है।वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुतम दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज है, जिसमें वादीगण के पिता का नाम बक्शीशसिह नाम दर्ज है, तथा इस बाबत वादीगण ने अपने दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा नोहर तहसील के चक 5 आरपीएम व चक 7 आरपीएम की जमाबन्दीयॉ पेश की है जिसमें वादीगण के पिता का नाम बक्सीसिह है। वादीगण अपने पिता का सही नाम बक्सीसिह दर्ज करवाना चाहते है।वादीगण का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक 1 जीजीआर के खाता सं0 137/33 में बक्शीश सिह व चक 644 आर डी के खाता सं0 89/66 में बक्शीशसिह तथा इसी चक के खाता सं0 40/37 में बक्शीश सिह व बक्शीसिह को दुरूस्त कर बक्सीसिह अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।